फा.स.18/1/2019-लेखा और क्रय
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

94, संसद भवन,
नई दिल्ली।

दिनांक: 23.8.2019

सेवा में

विषय: कम्प्यूटरों और उसके बाह्य परिधीय (पेरीफेरल) के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा के संबंध में।

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय में स्थापित कंप्यूटरों और बाह्य परिधीय (पेरीफिरल) के व्यापक सर्विस अनुरक्षण संविदा (सी.एस.एम.सी.) के लिए मोहरबंद कोटेशन आमंत्रित करने का निदेश हुआ है। इच्छुक फर्मों से अनुरोध है कि द्विबोली प्रणाली अर्थात तकनीकी बोली (अनुबंध-ख) और वित्तीय बोली (अनुबंध-ग) के माध्यम से अलग अलग अपने प्रस्ताव/दरें प्रस्तुत करें। बोली दस्तावेज मोहरबंद लिफाफे में डालकर अवर सचिव (लेखा और क्रय), कमरा न. 94, संसद भवन (दूरभाष:23034899) की अभिरक्षा में रखी पेटी में देर से देर 11 सितंबर, 2019 को अपराहन 3.00 बजे तक डाले जाने चाहिए। मोहरबंद लिफाफे के ऊपर **'कम्पयूटरों और पेरीफेरल हेतु व्यापक अनुरक्षण संविदा के लिए कोटेशंस'** लिखा होना चाहिए। वित्तीय बोलियां खोलने हेतु फर्मों की लघुसूची तैयार करने के लिए तकनीकी बोलियां इस अवधि की समाप्ति के तत्काल पश्चात खोली जाएंगी। निबंधन और शर्तें अनुबंध-क के अनुसार लागू होंगी।

भवदीय,

(मुकेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन 23034899

अनुबंध- क

निबंधन और शर्तें

1. को-टेशंस सीलबंद लिफाफे में होनी चाहिए और उस पर स्पष्ट लिखा होना चाहिए 'संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर के व्यापक अनुरक्षण हेतु तकनीकी बोली', 'संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के व्यापक अनुरक्षण हेतु वित्तीय बोली'।

2. कोटेशंस उसी दिन अर्थात 11 सितंबर, 2019 को अपराह्न 3.30 बजे खोली जाएंगी। जो फर्म कोटेशंस के खुलने के समय अपने प्रतिनिधि को उपस्थित रखना चाहती हैं वे अपने प्रतिनिधि को उचित प्राधिकार पत्र सहित वहां तैनात कर सकती हैं।

3. संविदा की आरंभिक अवधि संविदा करने की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी। संविदा को एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात फर्म के संतोषजनक निष्पादन को देखते हुए बढ़ाया जा सकता है। भारत सरकार को अनन्य अधिकार होगा कि वह करार को बिना कोई कारण बताए और फर्म को बिना किसी क्षतिपूर्ति के संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय रद्द कर सकती है।

4. पूरा सर्विस अनुरक्षण और विभिन्न पेरीफिरल मदों की स्थापना स्थल पर ही होनी चाहिए और यदि कोई मद मरम्मत के लिए वर्कशाप लेकर जानी आवश्यक है तो उसके बदले कोई दूसरी व्यवस्था करके ही ले जाना अपेक्षित है। फर्म को नियमित निवारक अनुरक्षण सेवा भी देनी होगी।

5. फर्म के लिए शिकायतों के निपटान हेतु मंत्रालय में एक योग्य सर्विस इंजीनियर प्रतिनियुक्त करना अपेक्षित होगा। फर्म द्वारा प्रतिनियुक्त सर्विस इंजीनियर द्वारा एक निर्धारित रजिस्टर में प्रतिदिन की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यह रजिस्टर लेखा और क्रय अनुभाग में रखा जाएगा। सर्विस इंजीनियर द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं करने पर सी.एस.एम.सी. के बिल में से मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार धनराशि काटी जाएगी।

6. किसी पुर्जे, विशेषकर हार्ड डिस्क, को यदि मरम्मत के लिए वर्कशाप ले जाना अपेक्षित हो तो, प्रयोगकर्ता के परामर्शानुसार पहले पूरे डाटा को किसी अन्य कंप्यूटर या स्टोरेज डिवाइस में कॉपी किया जाना चाहिए और केवल खाली हार्ड डिस्क मरम्मत हेतु बाहर ले जाई जा सकती है। सर्विस इंजीनियन द्वारा इस निदेश का अननुपालन दांडिक अपराध माना जाएगा और इस मंत्रालय द्वारा विधिनुसार उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

6. शिकायतों को 24 घंटे के अंदर निपटा दिया जाना चाहिए तथा खराबी दूर कर दी जानी चाहिए और कंप्यूटर को तीन कार्यदिवस के भीतर चालू कर दिया जाना चाहिए जिसके न होने पर प्रिंटर के लिए रू 100/- प्रतिदिन और कंप्यूटर सिस्टम के लिए रू.400/- प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा। सर्विस इंजीनियर द्वारा शिकायत दूर कर दिए जाने के पश्चात मांग-पर्ची प्रयोगकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

7. फर्म अथवा उसके प्राधिकृत इंजीनियर/प्रतिनिधि की ओर से लापरवाही के कारण सरकार को अथवा किसी अन्य सरकारी संपत्ति को हुए किसी नुकसान की पूरी जिम्मेदारी फर्म की होगी। लापरवाही के कारण फर्म द्वारा इस मंत्रालय को हुए किसी नुकसान की वसूली फर्म को देय संविदागत प्रभार में से की जाएगी। इस संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और फर्म के लिए बाध्यकारी होगा। संविदा से अथवा उसके संबंध में उत्पन्न सभी विवाद इस संबंध में एकमात्र माध्यस्थम सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निपटाए जाएंगे।

8. इस व्यवसाय में फर्म का टर्न-ओवर वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 में रू.80.00 लाख से अधिक होना चाहिए।

9. प्रस्तुत की गई दरें निविदा प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहनी चाहिएं। एक वर्ष की अवधि पूरी होने तक फर्म को कोई छूट नहीं दी जाएगी।

10. फर्म के पास अपना वैध पी.ए.एन./टी.आई.एन. होना चाहिए। फर्म के पी.ए.एन./टी.आई.एन. नंबर के बिना प्रस्तुत की गई कोटेशंस को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

11. फर्म को निविदा के साथ "वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रू.10,000/- की धरोहर राशि भेजनी चाहिए। सफल निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को संविदा के निबंधन और शर्तों की सम्यक पूर्ति/निष्पादन हेतु प्रतिभूति जमा के रूप में रख लिया जाएगा। उक्त प्रतिभूति जमा को निविदाकारों की ओर से देय राशि के समायोजन के अधीन रहते हुए संविदा के सफल समापन के पश्चात लौटा दिया जाएगा। अन्य असफल निविदाकारों से प्राप्त धरोहर राशि को बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा।

12. प्रत्येक निविदा दस्तावेज़ फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिएं जिसके न होने पर निविदा दस्तावेज़ अवैध माने जाएंगे।

13. व्यापक सर्विस अनुरक्षण संविदा में उपकरणों की भौतिक टूट-फूट के मामलों को छोड़कर हार्डवेयर संबंधी सहायता, सभी अतिरिक्त पुर्जों को लगाना, एस.एम.पी. बैटरी, की-बोर्ड, माउस आदि सहित खराब पुर्जे इत्यादि शामिल हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के किसी उपकरण को चूहे के काटने के कारण हुए नुकसान को भी फर्म/एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा। सी.एस.एम.सी. में

जले हुए पुर्जों को बदलना भी शामिल है। प्रिंटर्स के मामले में, सी.एस.एम.सी. में उपभोज्य मदों और बाहरी कवर की टूट-फूट को छोड़कर लॉजिक कार्ड, टेफलॉन शीट, पेपर मोटर, प्रेशर रोलर इत्यादि सहित सब कुछ शामिल है। यह मंत्रालय विद्युत आपूर्ति में उतार-चढ़ाव के कारण कंप्यूटर अथवा इसके किसी उपकरण को हुए किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ऐसे उपकरणों को फर्म द्वारा बदला जाएगा।

14. फर्म को 'जहां है-जैसा है' के आधार पर मंत्रालय के कंप्यूटरों का कार्यभार लेने के लिए सहमत होना चाहिए। फर्म को मंत्रियों के आवासीय कार्यालय, वरिष्ठ अधिकारियों के आवास इत्यादि पर जारी किए गए कंप्यूटरों का अनुरक्षण भी करना होगा।

15. फर्मों को तकनीकी बोली और वित्तीय बोली अनुबंध-ख और अनुबंध-ग में अलग-अलग प्रस्तुत करनी होगी। फर्म/एजेंसी स्वयं के कंप्यूटर द्वारा तैयार किए गए अनुबंध-ख और अनुबंध-ग के प्रारूप का प्रयोग कर सकती हैं बशर्ते कि उनका प्रारूप इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के बिल्कुल समान हो।

16. वार्षिक अनुरक्षण संविदा के प्रभार का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा अर्थात संविदा अवधि की संबंधित तिमाही की समाप्ति के पश्चात।

17. फर्म अपनी सेवाएं सभी कार्यदिवसों पर प्रात: 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक उपलब्ध कराएगी। तथापि, समय सारणी और तारीखों/दिनों में मंत्रालय की सुविधानुसार बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है। संसद सत्रों के दौरान अथवा किसी अन्य तत्काल प्रकृति के कार्य के दौरान फर्म को अपनी सेवाएं सरकार के विवेक के अनुसार निर्धारित समय के बाद भी, जब भी आवश्यक हो, उपलब्ध करानी पड़ेंगी।

18. किसी भी परिस्थिति में, फर्म कोई उप-संविदाकार नियुक्त नहीं करेगी अथवा संविदा को पट्टे पर नहीं देगी। यदि यह पाया जाता है कि संविदाकार ने इन शर्तों का उल्लंघन किया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल बिना किसी सूचना के संविदा को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में प्रतिभूति राशि को ज़ब्त करने के अतिरिक्त इस मंत्रालय द्वारा, जो भी उचित समझी जाए, कार्रवाई की जा सकती है।

19. संविदा अवधि के दौरान इस मंत्रालय द्वारा कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर्स, यू.पी.एस., स्कैनर्स और लेपटॉप इत्यादि की कुल संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तदनुसार, वार्षिक अनुरक्षण संविदा का कुल मूल्य भी यथानुपात आधार पर घटाया या बढ़ाया जाएगा।

20. संविदा अवधि के दौरान उत्पन्न कानूनी विवाद, यदि कोई हो, की अधिकारिता का निपटारा केवल दिल्ली/नई दिल्ली के न्यायालयों में किया जाएगा।

21. संविदाकार को ऊपर उल्लिखित मदों के कार्य का कम से कम तीन वर्ष का पूर्वानुभव होना चाहिए। निविदाकारों को इस कार्य को करने के लिए अपनी सक्षमता सिद्ध करने के लिए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और अपने किसी प्रतिष्ठित संगठन के पूर्व ग्राहक से अपनी स्थिति और सुनाम (गुडविल) का साक्ष्य भी उस मंत्रालय/विभाग के अधिकारी का नाम, पदनाम और टेलीफोन नम्बर का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना चाहिए।

अनुबंध-ख

तकनीकी बोली

1. फर्म का नाम
2. फर्म का पता
3. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (सुवाच्य अक्षरों में)
4. प्राधिकृत हस्ताक्षरी के नमूना हस्ताक्षर
5. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का टेलीफोन/मोबाइल नम्बर और फर्म के अन्य टेलीफोन नम्बर
6. क्या फर्म ने धरोहर राशि जमा की है (हां/नहीं)
7. क्या फर्म एक योग्य सर्विस इंजीनियर प्रतिनियुक्त करने के लिए सहमत है (हां/नहीं)

इंजीनियर का नाम और योग्यताएं

8. क्या शिकायतें 24 घंटे के भीतर निपटाई जाएंगी (हां/नहीं)
9. उन सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि का विवरण जिनमें फर्म वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान कंप्यूटर ए.एम.सी./सी.एस.एम.सी. गतिविधियों में नियोजित है।
10. फर्म की कुल वित्तीय बिक्री (रूपयों में) (पिछले तीन वर्षों के लिए चार्टरित लेखाकार द्वारा यथा प्रमाणित परीक्षित लेखा विवरण भी भेजें)
11. फर्म का पी.ए.एन./टी.आई.एन. नम्बर
12. क्या सभी दस्तावेज़ों पर फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं (हां/नहीं)
13. क्या फर्म धरोहर राशि जमा करने के लिए सहमत है
14. फर्म/एजेंसी में नियोजित योग्य सर्विस इंजीनियरों की कुल संख्या
15. क्या फर्म ने धरोहर राशि जमा करा दी है, यदि हां तो ड्राफ्ट नम्बर और तारीख
16. क्या फर्म अनुबंध-क में दी गई सभी निबंधन और शर्तों को पूरा करने के लिए सहमत है (हां/नहीं)

(फर्म का प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

अनुबंध- ग

वित्तीय बोली

1. फर्म का नाम
2. फर्म का पता
3. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (सुवाच्य अक्षरों में)
4. प्राधिकृत हस्ताक्षरी के नमूना हस्ताक्षर
5. फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरी का टेलीफोन नंबर
6. सी.एस.एम.सी. प्रभार

क्र.सं.	मद	मात्रा	प्रति यूनिट दर
1.	कंप्यूटर	110 (i5 कंप्यूटर्स)	
2.	प्रिंटर	82 (लेजर जेट)	
3.	यू.पी.एस.	75 (650 वी.ए.)	
4.	सर्वर	2 (डेल पावर ऐज)	
5.	स्कैनर	3 (एच.पी.)	
6.	लैपटॉप	10	

7. प्रस्तुत की गई दरें जी.एस.टी. समेत होनी चाहिएं।

(फर्म का प्राधिकृत हस्ताक्षरी)